प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 01.10.2025

- ➢ *संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार*
- ➢ *एक अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक निर्वाचन कार्ड, कुल 1000रु0 व चोरी के जेवरात बरामद*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राज शेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा चोरी के मामले में वांछित अभियुक्त पप्पू पुत्र लालजी निवासी गोनवतिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को सिसवनिया के पास से आज दिनाँक 01.10.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पहली घटनाः- दिनाँक 07.08.2025 को वादी श्री शैलेश उर्फ रामाज्ञा चौहान पुत्र रामफेर निवासी सोनडीहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर अज्ञात चोर के विरुद्ध दिनाँक 06/07.08.2025 की रात्रि में वादी के घर में घुसकर सोने व चाँदी के जेवरात, रुपये व कुछ कागजात चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 377/2025 धारा 305(a) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दूसरी घटनाः- दिनाँक 08.09.2025 को वादी श्री रामदास पुत्र विरजू निवासी शिवापार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर अज्ञात चोर के विरुद्ध दिनाँक 07.09.2025 की रात्रि में वादी के घर में घुसकर जेवरात व रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 438/2025 धारा 305(a) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

तमंचा व कारतूस बरामदगी के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 377/2025 में धारा 3/25 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी तथा चोरी के जेवरात व रुपयों की बरामदगी के आधार पर उक्त दोनो अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. पप्पू पुत्र लालजी निवासी गोनवतिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

(1.) 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

(2.) 01 अदद जिंदा कारतुस 315 बोर

(3.) चोरी के 03 अदद झुमका पीली धातु

(4.) 02 अदद अगुंठी पीली धातु

(5.) 02 जोड़ी पायल सफेद धातु

(6.) 01 जोड़ी विछुवा, सफेद धातु के आभुषण

(7.) 01 एदद निर्वाचन कार्ड

(8.) 1000/ रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, उ0नि0 श्री जय प्रकाश कुशवाहा, हे0का0 प्रमोद राय, आरक्षी जितेन्द्र यादव आरक्षी संदीप यादव।

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्तः- पप्पू पुत्र लालजी निवासी गोनवतिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

1. मु0अ0सं0 514/2024 धारा 305, 317(2) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 516/2024 धारा 305, 317(2), 331(4) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
3. मु0अ0सं0 545/2024 धारा 305, 317(2), 331(4)बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
4. मु0अ0सं0 549/2024 धारा 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा संयुक्त रूप से द्वारा थाना बखिरा अन्तर्गत ग्राम ढोंढया में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन स्थल का किया गया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, जल संरक्षण और स्वच्छता की व्यवस्था का लिया गया जायजा

भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन सेवाएं और दुर्घटना निवारक उपाय सुनिश्चित करने के लिए संबंधित को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 01.10.2025 को जिलाधिकारी संतकबीरनगर ***श्री आलोक कुमार*** व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा संयुक्त रुप से द्वारा थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ढोंढया में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल एवं विसर्जन स्थल मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये कि मार्ग में पड़ने वाले बिजली के तारों को देख लिया जाए, जहां भी मार्ग में दिक्कत है वहां आने-जाने वाले रास्तों को संबंधित से ठीक करा लिया जाए ताकि मूर्तियों का विसर्जन निर्विघ्नता पूर्वक किया जा सके। मूर्ति विसर्जन स्थलों पर गोताखोरों की व्यवस्था रखी जाए, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में उनका उपयोग किया जा सके स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को विसर्जन स्थलों पर तैनात किया जाए। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील किया गया कि शासन/प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रूप से विसर्जन में भाग लें। साथ ही महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि अवांछनीय एवं अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखें किसी भी प्रकार की गतिविधि होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा ***श्री राकेश कुमार सिंह***, राजस्व विभाग व पुलिस के अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा संयुक्त रूप से मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना मेंहदावल प्रांगण में चौपाल के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ किया गया भव्य जागरूकता कार्यक्रम

जिलाधिकारी संतकबीरनगर ***श्री आलोक कुमार*** व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा संयुक्त रुप से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 01.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के थाना मेंहदावल प्रांगण में चौपाल लगाकर भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजन करते हुए महिलाओं / बालिकोओं से संवाद कर जागरुक किया गया। महोदय द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों तथा वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में,घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित

कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया। *यह भव्य कार्यक्रम यह संदेश देने में सफल रहा कि "नारी सशक्तिकरण ही सशक्त समाज की पहचान है, और मिशन शक्ति 5.0 के माध्यम से जिले की प्रत्येक महिला सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ी है। महोदय द्वारा यह भी संदेश दिया गया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से ही सशक्त समाज की पहचान सुनिश्चित होगी, महिला सुरक्षा ही समाज की प्रगति का आधार है, अपराध मुक्त समाज की ओर हम सभी साथ मिलकर कदम बढ़ाएँ जिससे समाज में एकरुपता सुनिश्चित हो। कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार सिंह, एसडीएम मेंहदावल *श्री संजीव राय* क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह,* तहसीलदार मेंहदावल, प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण व महिला संगठन, विद्यालय की छात्राएँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहुएँ, समाज सेवी महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की बहुएं और बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद थे।

☐ ***मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान***

☐ ***अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 138 स्थानों पर 1696 व्यक्तियों को किया गया चेक***

☐ ***65 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया***

☐ ***धारा 296 बीएनएस के तहत 06 अभियोग पंजीकृत कर 06 व्यक्तियो को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय किया गया रवाना***

☐ ***17 शोहदों के विरुद्ध की गयी विधिक कार्यवाही***

☐ ***1219 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों व स्कूलों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 16 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 182 व्यक्तियों को चेक किया गया 02 शोहदों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई तथा 142 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया। थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 09 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 140 व्यक्तियों को चेक किया

गया तथा 108 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया। महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 11 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 100 व्यक्तियों को चेक किया गया व 85 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया। थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 18 स्थानों पर बिना वजह बाहर घूम रहे 295 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 04 शोहदों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई व 167 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया। थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र में 22 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 255 व्यक्तियों को चेक करते हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 03 अभियोग पंजीकृत कर 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया व 05 शोहदों के विरुद्ध विधिक की कार्यवाही की गई तथा 235 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 21 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 195 व्यक्तियों को चेक करते हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया व 02 शोहदों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई तथा 120 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया। थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर 148 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 110 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 14 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 275 व्यक्तियों को चेक करते हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया व 03 शोहदों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई तथा 155 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया। थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 12 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 106 व्यक्तियों को चेक करते हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया व 01 शोहदे के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई तथा 97 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया।

रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष संतकबीरनगर में साइबर अपराध से सम्बन्धित संचालित विभिन्न पोर्टल के सम्बन्ध में पुलिसकर्मियों हेतु कार्यशाला का किया गया आयोजन

आज दिनांक 01.10.2025 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर, जोन गोरखपुर ***श्री मुथा अशोक जैन*** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती, परिक्षेत्र बस्ती ***श्री संजीव त्यागी*** के मार्गदर्शन व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के पर्यवेक्षण में रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष में साइबर अपराध से सम्बन्धित संचालित विभिन्न पोर्टल के सम्बन्ध में पुलिसकर्मियों हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। साइबर कमांडो उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार सिंह गोरखपुर जोन, गोरखपुर के द्वारा पुलिस कर्मियों को साइबर अपराध से सम्बन्धित विभिन्न पोर्टल NCRP पोर्टल, प्रतिबिम्ब पोर्टल, सहयोग पोर्टल, समन्वय पोर्टल, CEIR पोर्टल, CYBER SAFE पोर्टल तथा आई0पी0डी0आर0 के बारे की जानकारी दी गयी तथा हैकिंग, पहचान की चोरी, आनलाईन धोखाधड़ी और अन्य प्रकार के साइबर-संबंधी अपराध की घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। उक्त कार्याशाला में प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना *श्री जय प्रकाश चौबे* जनपद के समस्त थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क के अधिकारी / कर्मचारीगण व थानों के साइबर अपराध से सम्बन्धित विवेचनाओं के विवेचकगण, कम्प्यूटर आपरेटर, सर्बिलांस सेल, एसओजी टीम, क्राइम ब्रान्च तथा विभिन्न थानो / सेल में नियुक्त B.Tech , Bsc किये हुए 84 अन्य अधिकारी एवं कर्माचारीगण को प्रशिक्षण दिया गया।